

**हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण)
संशोधन विधेयक, 2022**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण)
संशोधन विधेयक, 2022

[k. Mka dk Øe

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. धारा 2 का संशोधन ।
3. धारा 3 का संशोधन ।
4. धारा 4 क का अन्तःस्थापन ।
5. धारा 5 का संशोधन ।
6. धारा 5 क का अन्तःस्थापन ।
7. धारा 6 क का अन्तःस्थापन ।
8. धारा 7 का संशोधन ।
9. धारा 8 का संशोधन ।
10. धारा 9 का संशोधन ।
11. धारा 11 का संशोधन ।
12. धारा 11 क का अन्तःस्थापन ।
13. धारा 12 का संशोधन ।
14. धारा 13 का संशोधन ।
15. धारा 14 का संशोधन ।
16. धारा 20 का संशोधन ।
17. धारा 21 का प्रतिस्थापन ।

**हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण)
संशोधन विधेयक, 2022**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 31) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2022 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,- धारा 2 का संशोधन।

10 (क) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ग-1)” केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण” से, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन स्थापित प्राधिकरण अभिप्रेत है;”;

15 (ख) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(अ-क) “लोक जल स्रोत” से, कोई स्रोत जिस के अंतर्गत कुआँ, बेधित कुआँ, टयुबवैल या कोई अन्य भूगर्भ जल है जिस से राज्य सरकार या ऐसा अन्य प्राधिकरण, जिसे राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जन-साधारण को जल उपलब्ध करवाती है, अभिप्रेत है;

5

(अ-ख) “लोक जल आपूर्ति प्रणाली” से, जल पहुंचाने वाली पाइप लाइनों, भण्डारण जलाशय, स्टैंड पोस्टस, पानी की टंकियों, हस्तचालित पम्प (हैंडपम्प), ऊर्जा चालित पम्प सहित लोक पेयजल स्रोत से सम्बन्धित अवसंरचना और इससे सम्बन्धित अन्य समस्त सामग्री जिसके माध्यम से पेयजल के लिए जलापूर्ति की जाती है, अभिप्रेत है;” और

10

(ग) खण्ड (ण) में “घरेलू उपयोग को अपवर्जित करके” शब्दों के स्थान पर “वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ता, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीम, सशस्त्र बल और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल स्थापन, कृषि कार्यकलापों और दस घन मीटर प्रति दिन से कम भूगर्भ जल निकालने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपवर्जित करके” शब्द और चिह्न रखे जाएंगे।

15

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में “सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य” शब्द जहाँ –जहाँ ये आते हैं, के स्थान पर “जल शक्ति विभाग” शब्द रखे जाएंगे।

20

धारा 4क का अन्तःस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“4 क. प्राधिकरण की निधियां.—(1) प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण निधि के नाम से ज्ञात एक पृथक् निधि संचालित और अनुरक्षित करेगा जिसमें निम्नलिखित.—

25

(क) ऐसी रकम, जो राज्य सरकार और इसके अभिकरण द्वारा, समय समय पर अनुदान या ऋण के रूप में या अन्यथा प्राधिकरण के व्ययन (अधिकार) में रखी जाए;

- (ख) ऐसी रकम जो प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार से समय-समय पर अनुदान या ऋण के रूप में या अन्यथा प्राप्त की जा जाए;
- (ग) प्राधिकरण द्वारा किन्हीं वित्तीय अभिकरणों से सरकार की पूर्व सहमति से लिए गए ऐसे ऋण;
- 5 (घ) प्राधिकरण द्वारा किन्हीं फीसों, प्रभारों, रॉयल्टियों और उद्गृहीत जुर्मानों के आगम; और
- (ङ) ऐसी अन्य रकमें, जो प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाए;
- जमा की जाएगी।

10 (2) प्राधिकरण द्वारा निधियों का उपयोग, भूगर्भ जल के विकास और उन प्रयोजनों, जो विहित किए जाएं, के लिए किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण सही (सत्य) और उचित लेखा तथा उससे सुसंगत अन्य अभिलेख अनुरक्षित करेगा तथा लेखाओं के वार्षिक विवरण जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र है, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जैसा विहित किया जाए।”।

15 5. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में “निकालने” शब्द के पश्चात् “या उपयोग” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 5 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्— धारा 5 क का अन्तःस्थापन।

“5 क. जल गुणवत्ता का संरक्षण और परिरक्षण.—

- 20 (1) भूगर्भ जल उपयोक्ता सहित कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करेगा या कोई अपशिष्ट प्रवाहित नहीं करेगा, जो या अस्थायी या स्थायी रूप से भूगर्भ जल को संदूषित करे।
- (2) प्राधिकरण ऐसे उपाय करेगा जो विहित किए जाएं या जो राज्य में अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर किसी भूगर्भ जल स्रोतों की जल गुणवत्ता के संरक्षण और परिरक्षण के लिए आवश्यक हो।”।
- 25

धारा 6 क का
अन्तःस्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“6 क. भूगर्भ जल निकालने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कुएं का राजिस्ट्रीकरण.—किसी अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालने वाला और भूगर्भ जल के उपयोक्ता की परिभाषा की परिधि में न आने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्राधिकरण की स्थापना या हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास प्रबन्धन का विनयमन और नियन्त्रण) संशोधन, अधिनियम, 2022, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के प्रारम्भ की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर प्राधिकरण को ऐसी विशिष्टियों से समाविष्ट ऐसे प्ररूप पर और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए निःशुल्क आवेदन करेगा।”।

5

10

धारा 7 का
संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) भूगर्भ जल का कोई उपयोक्ता, जो किसी प्रयोजन हेतु अधिसूचित क्षेत्र के भीतर कुआँ खोदने या भूगर्भ जल निकालने की वाँछा रखता है, ऐसी फीस, जो विहित की जाए के संदाय पर, अनुज्ञापत्र (परमिट) प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन करेगा और ऐसी खुदाई या भूगर्भ जल को निकालने से संबंधित कोई कार्यकलाप (गतिविधि) तब तक नहीं करेगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अनुज्ञापत्र प्रदान न कर दिया गया हो।”;

15

20

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(3) प्राधिकरण उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है तो वह, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्याधीन जो विहित की जाएं, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र प्रदान कर सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगा या आवेदन की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्याधीन कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अनुज्ञापत्र या

25

नवीकरण प्रदान करने से इनकार कर सकेगा, ऐसा न होने पर अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया समझा जाएगा:

5

परन्तु प्राधिकरण आवेदन पर विचार करते समय अन्य आवश्यकताओं की अधिमानतः पेयजल आवश्यकताओं को प्रथम प्राथमिकता देगा:

परन्तु यह और कि सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना किसी भी अनुज्ञापत्र को नामंजूर नहीं किया जाएगा :

10

परन्तु यह और भी कि सम्पत्ति के भू-उपयोग या जल उपयोग में परिवर्तन की दशा में भूगर्भ जल उपयोक्ता नए अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करेगा।”;

(ग) उपधारा (4) में, “अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नामंजूर करने” शब्दों के स्थान पर, “यथास्थिति, अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नामंजूर करने या इसका नवीकरण करने” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

15

(घ) “उपधारा (5)में, –(i) “उपधारा (3)के अधीन” शब्दों, चिन्हों और अंक के पश्चात” “,यथास्थिति अनुज्ञापत्र या इस का नवीकरण” शब्द और चिन्ह अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप खण्ड (ड.) का लोप किया जाएगा; और

20

(iii) उप खण्ड (च) में, क्रमशः “टयूबैल” शब्द के स्थान पर “डीप वैल” शब्द और “जल आपूर्ति स्कीम” शब्दों के स्थान पर “लोक जल आपूर्ति स्कीम” शब्द रखे जाएंगे ।

9. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

धारा 8 का संशोधन ।

(क) शीर्षक में, “रजिस्ट्रीकरण” शब्द के पश्चात “और अनुज्ञापत्र का नवीकरण” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) उपधारा (1) में,—

- (i) “प्राधिकरण के गठन” शब्दों के पश्चात् “या हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन, अधिनियम, 2022 के प्रारम्भ, जो भी पश्चात्वर्ती हो” शब्द और चिह्न अन्तः स्थापित किए जाएंगे; और 5
- (ii) “रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र” शब्दों के पश्चात् “या अनुज्ञापत्र” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) में;

- (i) “के अध्यक्षीन” शब्दों के पश्चात्, “आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर” शब्द रखे जाएंगे; 10
- (ii) “रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा” शब्दों के स्थान पर, “रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या अनुज्ञापत्र प्रदान करेगा, ऐसा न होने पर इसे प्रदान किया गया समझा जाएगा”, शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और 15
- (iii) उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(घ) उपधारा (3) में “रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र” शब्दों के पश्चात् “या यथास्थिति, अनुज्ञापत्र या इसका नवीकरण” शब्द और चिह्न अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ङ) उपधारा (4) में,— 20

- (i) “उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या अनुज्ञापत्र प्रदान करने या उसका नवीकरण,” शब्द और चिह्न रखे जाएंगे; और
- (ii) खण्ड (ङ) का लोप किया जाएगा। 25

10. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

धारा 9 का
संशोधन।

(क) विद्यमान उपबंध को उपधारा (1) के रूप में संख्याकित किया जाएगा, और

(ख) इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

5

“(2) मशीनरी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने या उसे नामंजूर करने में, प्राधिकरण ऐसी शर्तों, जैसी विहित की जाएं, को ध्यान में रखेगा।

10

(3) किसी भी अरजिस्ट्रीकृत बेधन (ड्रिलिंग) अभिकरण या जलयान (रिंग) के स्वामी को भूभर्ग जल निकालने की अवसंरचनाओं का सन्निर्माण करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और किसी व्यतिक्रम की दशा में वह राज्य भूभर्ग जल प्राधिकरण या केंद्रीय भूभर्ग जल प्राधिकरण द्वारा यथा विहित शास्त्र के लिए दायी होगा।”।

15

11. मूल अधिनियम की धारा 11 में उपखण्ड (ग) के अन्त में “।” चिह्न के स्थान पर “;या” चिह्न और शब्द रखे जाएंगे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 11 का
संशोधन।

20

“(घ) सम्पत्ति के भू उपयोग या जल के उपयोग में परिवर्तन की दशा में, स्वामी के लिए नए अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा।”।

12. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 11 क का
अन्तःस्थापन।

“11क. बेधन (ड्रिलिंग) अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना.—

25

(1) बेधन (ड्रिलिंग) अभिकरण या जलयान (रिंग) का स्वामी, किसी कुएं का सन्निर्माण/ड्रिलिंग करने के लिए कोई

भी कार्रवाई करने से पूर्व पहले अपना समाधान करेगा कि किसी कुएं की खुदाई की वांछा रखने वाले आवेदक ने ऐसे कुएं के बेधन (ड्रिलिंग) हेतु प्राधिकरण से पहले ही अपेक्षित अनुज्ञा प्राप्त कर ली है और ऐसे कुएं के सन्निर्माण के बारे में, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए लिखित में संसूचित करेगा और प्राधिकरण के सदस्य-सचिव या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सूचना, जैसी विहित की जाए, की प्राप्ति सुनिश्चित करेगा।

5

(2) बेधन (ड्रिलिंग) अभिकरण या जलयान (रिंग) का स्वामी तकनीकी और अन्य समस्त ब्यौरे ऐसी रीति में, जैसे विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा।

10

(3) बेधन (ड्रिलिंग) अभिकरण, अधिसूचित या गैर-अधिसूचित क्षेत्र के भीतर समस्त बेधन (ड्रिलिंग) किए गए कुओं के ब्यौरे ऐसे बोर वेल या डीप वेल के बेधन (ड्रिलिंग) किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्राधिकरण को राज्य के भूगर्भ जल स्रोतों के डाटा बेस को अनुरक्षित करने और अपडेट करने हेतु सूचित करेगा।”।

15

धारा 12 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 12 के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

धारा 13 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) में “कार्यान्वित करने” शब्दों के पश्चात् “या किन्ही शर्तों को अधिरोपित करने, जो केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा विहित की जाएं,” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

20

धारा 14 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 14 में, विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा और शेष उपबन्ध को उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

25

“(2) किसी अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का प्रत्येक उपयोक्ता यदि दूरमापी (टैलीमीट्री) प्रणाली के साथ डिजिटल वाटर फलों मीटर स्थापित करने में असफल रहता है या त्रुटिपूर्ण

डिजिटल वाटर फलों मीटर स्थापित करता है तो दो लाख रुपए की रकम की शास्ति के लिए दायी होगा।”।

16. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) में “मजिस्ट्रेट” शब्द से धारा 20 का पूर्व “न्यायिक” शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा। संशोधन।

5 17. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित रखा धारा 21 का जाएगा, अर्थात्:— प्रतिस्थापन।

10 “21. अपराध और शास्तियां.—जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदशों अथवा निर्देशों के उपबन्धों का पालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन की बाबत कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा और यदि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माना से, जो ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिवस, जिसके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है के लिए, पांच हजार रुपए 15 तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जाएगा।”।

उद्देश्यों और कथनों का कारण

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 भूगर्भ जल के विकास और प्रबंधन तथा इससे संबद्ध मामलों को विनियमित करने और नियन्त्रित करने हेतु अधिनियमित किया गया था। भूगर्भ जल के उपयोग की परिभाषा को संशोधित किया जा रहा है और दस घन मीटर प्रतिदिन से कम भूगर्भ जल निकालने वाले व्यक्तियों को परिभाषा से अपवर्जित किया जा रहा है। अब उनसे भूगर्भ जल निकालने हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है ऐसे व्यक्ति केवल प्राधिकरण के पास निःशुल्क रजिस्ट्रीकरण करवाने से ही भूगर्भ जल निकाल सकेंगे। जल की गुणवत्ता के संरक्षण और पर्यवेक्षण हेतु भी उपबंध निगमित किए जा रहे हैं। भूगर्भ जल के उपयोक्ताओं को अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु उपबंध और अधिक प्रभावी बनाए जा रहे हैं। भूगर्भ जल अवरोधक संरचनाओं के अवैध सन्निर्माण की रोकथाम हेतु ड्रिलिंग अभिकरणों या रिग स्वामियों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को और अधिक कठोर बनाया जा रहा है। ड्रिलिंग अभिकरणों और रिग स्वामियों को किसी कुएं को निर्मित करने या ड्रिलिंग करने से पूर्व प्राधिकरण को भी सूचित करना होगा। इसलिए इसे और अधिक उपयोक्ता-सुलभ तथा प्रभावोत्पादक बनाने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जा रहे हैं।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

शिमला:

तारीख:, 2022

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

(महेन्द्र सिंह ठाकुर)

प्रभारी मन्त्री।

Jal Shakti/Hort./Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन


विधेयक के खण्ड 4, 6, 7, 8, 10 और 12 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने को सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन
विधेयक, 2022

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005
(2005 का अधिनियम संख्यांक 31) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

(महेन्द्र सिंह ठाकुर)
प्रभारी मन्त्री।

राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)



शिमला,
तारीख:2022


Jal Shakti/Hort./Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 31) के उपबन्धों के उद्धरण।

धाराएं :

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 है;
- (ख) "भूगर्भ जल के लिए कृत्रिम पुनः प्रभरण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा भूगर्भ जल जलाशय का पुनः पूर्ति की प्राकृतिक स्थिति से परे संवर्धन किया जाता है;
- (ग) "प्राधिकरण" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (घ) "पेयजल" से पीने और अन्य घरेलू प्रयोजनों के लिए मानव आबादी द्वारा उपभोग या उपयोग के लिए जल अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत खाना पकाने, नहाने, धोने, सफाई करने तथा अन्य दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों के लिए जल का उपभोग या उपयोग आएगा और इसके अन्तर्गत पशुधन के उपयोग के लिए जल भी होगा;
- (ङ) "विदोहन सीमा" से ऐसी सीमा अभिप्रेत है जहां प्राक्कलित वार्षिक भूगर्भ जल का निकालना प्राक्कलित औसत वार्षिक भूगर्भ जल के पुनः प्रभरण से पच्चीस प्रतिशत से अधिक है;
- (च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (छ) "भूगर्भ जल" से ऐसा जल अभिप्रेत है जो किसी संतृप्ति परिक्षेत्र में भूमि की सतह से नीचे विद्यमान है और जिसे कुओं या किसी अन्य साधनों से निकाला जा सकता है या जो जल धाराओं और नदियों में झरनों और मुख्य प्रवाहों के रूप में निकलता है;
- (ज) "अधिसूचित क्षेत्र" से इस अधिनियम की धारा 5 (5) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (झ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
- (ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं;
- (ट) "वर्ष जल संचयन" से वर्ष जल का सतह पर या उप-सतही जल भर में संग्रहण और भण्डारण की प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- (ठ) "रायलेटी" से इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन राज्य सरकार को संदेय रायलेटी अभिप्रेत है;

- (ड) कुएं के सम्बन्ध में "खुदाई" से समस्त व्याकरणिक विभिन्नताओं और सजातीय पद सहित नए कुओं का कोई उत्खनन, ड्रिलिंग या बोरिंग या विद्यमान कुओं को गहरा करना है;
- (ढ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (ण) "भूगर्भ जल उपयोक्ता" से किसी कम्पनी या किसी उद्योग या किसी स्थापन चाहे सरकारी हो या न हो सहित कोई व्यक्ति या संस्थान अभिप्रेत है जो घरेलू उपयोग को अपवर्जित करके किसी भी प्रयोजन के लिए भूगर्भ जल का उपयोग करता है; और
- (त) "कुओं" से राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा भूगर्भ जल स्रोतों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधानों, समन्वेषण, विकास या प्रबन्ध कार्य के क्रियान्वयन या सिंचाई के लिए या पीने के लिए जल उपलब्ध करवाने के लिए खोदे गए कुएं के सिवाए किसी व्यक्ति द्वारा भूगर्भ जल की खोज या उसे निकालने के लिए खोदी गई संरचना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत खुला कुआं, खुदा कुआं, वेधित कुआं, खुदा एवं वेधित कुआं, ट्यूब बैल, फिल्टर प्वाइंट, संग्राहक कुआं, अन्तःसारण गैलरी, पुनःप्रभरण कुआं, विन्यास कुआं या उनमें से किसी का संयोजन या रूप भेद है सिवाय भूगर्भ जल निस्सारण के लिए किसी भी हस्तसाधित युक्ति के।

3. प्राधिकरण की स्थापना.—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, हिमाचल प्रदेश "भूगर्भ जल प्राधिकरण" के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी :

(2) भूगर्भ जल प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

- | | |
|---|---------------|
| (i) इंजीनियर—इन—चीफ, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, हिमाचल प्रदेश | . . . अध्यक्ष |
| (ii) प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन, हिमाचल प्रदेश | . . . सदस्य |
| (iii) निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश | . . . सदस्य |
| (iv) निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश | . . . सदस्य |
| (v) निदेशक, कृषि, हिमाचल प्रदेश | . . . सदस्य |
| (vi) प्रमुख, सुदूर संवेदी कक्ष, हिमाचल प्रदेश | . . . सदस्य |
| (vii) सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। | . . . सदस्य |

- (viii) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (बोर्ड) का नाम निर्देशिती . . सदस्य
- (ix) क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड . . सदस्य
- (x) अधीक्षण अभियन्ता (योजना एवं अन्वेषण युनिट-II), सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग। . . सदस्य सचिव, और
- (xi) पांच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य सरकार की राय में भूगर्भ जल स्रोतों के प्रबन्ध से सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों।

(3) सदस्य अध्यक्ष को सलाह देंगे जोकि प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी होगा।

(4) प्राधिकरण का मुख्यालय शिमला में होगा।

5. भूगर्भ जल के विकास और प्रबन्धन के विनियम और नियन्त्रण के लिए क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्ति.—(1) प्राधिकरण राज्य सरकार के सम्पूर्ण नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(2) यदि प्राधिकरण की यह राय है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी रूप में भूगर्भ जल के निकालने को नियन्त्रित करना या विनियमित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, तो यह राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए पामर्श देगा।

(3) राज्य सरकार उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त प्राधिकरण की सलाह का परीक्षण करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जैसी यह उचित समझे, ऐसे क्षेत्र या उसके भाग को अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगी :

परन्तु यह कि राज्य सरकार स्वप्रेरणा से अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र को, इस धारा के अधीन अधिसूचित करने के अपने आशय को घोषित कर सकेगी, यदि आवश्यक समझे।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई प्रत्येक ऐसी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के साथ-साथ राज्य में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम दो दैनिक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी और उक्त क्षेत्र के स्थित ग्राम पंचायतों के कार्यालयों और परिक्षेत्र के सहज दृश्य स्थानों पर अधिसूचना की एक प्रति को चिपकाकर भी इसकी तामील की जाएगी।

(5) उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना से सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति इस अधिसूचना के रापत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी घोषणा के विरुद्ध राज्य सरकार को आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे, जो इसके द्वारा लोक सुनवाई के पश्चात् तीस दिन के भीतर विनिश्चित किए जाएंगे और तत्पश्चात् तीस दिन के भीतर अन्तिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

(6) यदि प्राधिकरण की राय में किसी अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल की उपलब्धता में सुधार हुआ है तो यह राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्र को डी-नोटिफाई क्षेत्र करने का परामर्श दे सकेगी और राज्य सरकार उसी रीति में, ऐसे क्षेत्र को डी-नोटिफाई कर सकेगी।

(7) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि भूगर्भ जन संसाधनों का दोहन जलभरों की प्राकृतिक पुनः पूर्ति से अधिक न हो और जहां कहीं भी असमानता है वहां विनियामक उपायों के अतिरिक्त भूगर्भ जल संसाधनों का संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा।

7. भूगर्भ जल को निकालने और उसका उपयोग करने के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान करना.—(1) भूगर्भ जल का कोई भी उपयोक्ता जो किसी भी प्रयोजन के लिए अधिसूचित क्षेत्र के भीतर कुआं खुदवाना चाहता है तो वह ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए प्राधिकरण का अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा और ऐसी खुदाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई क्रियाकलाप तब तक नहीं करेगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं कर दिया जाता।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी विशिष्टियों से अतर्विष्ट होगा जैसी विहित की जाएं।

(3) प्राधिकरण उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है तो वह ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, अनुज्ञापत्र प्रदान करेगा :

परन्तु यह कि प्राधिकरण आवेदन पर विचार करते समय अन्य आवश्यकताओं की अधिमानतः पेयजल आवश्यकताओं को प्रथम प्राथमिकता देगा:

परन्तु यह और कि सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी अनुज्ञापत्र को नामंजूर नहीं किया जाएगा।

(4) अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नामंजूर करने से सम्बन्धित विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा, विनिश्चय की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, आवेदक को सूचित किया जाएगा।

(5) उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नामंजूर करने के लिए प्राधिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा:—

- (क) प्रयोजन जिसके या जिनके लिए जल का उपयोग किया जाएगा;
- (ख) अन्य स्पर्धी उपयोक्ताओं की विद्यमानता;
- (ग) जल की उपलब्धता;
- (घ) प्रस्तावित उपयोग के सन्दर्भ में निकासी किए जाने वाले भूगर्भ जल की गुणवत्ता;
- (ङ) प्रयोजन जिसके लिए जल का उपयोग किया जाना है को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ जल निकालने की संरचनाओं का अन्तरालन;
- (च) यथाथिति, विद्यमान उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम या उठाऊ स्कीम या उठाऊ सिंचाई स्कीम से उथले कुओं की दशा में कम से कम दो सौ मीटर और ट्यूबवैल की दशा में कम से कम तीन सौ मीटर की दूरी;
- (छ) दीर्घकालिक भूगर्भ जल स्तर व्यवहार; और
- (ज) इससे सुसंगत कोई अन्य कारक।

8. भूगर्भ जल के विद्यमान उपयोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण.—(1) अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का प्रत्येक विद्यमान उपयोक्ता, प्राधिकरण के गठन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप में जिसमें ऐसी विशिष्टियां और फीस अन्तर्विष्ट हो, जैसी विहित की जाए, प्राधिकरण को, इसके विद्यमान उपयोग की मान्यता के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा:

परन्तु, यदि प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि उपयोक्ता को समय के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह साठ दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी आवेदन ग्रहण कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, यदि प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित के विरुद्ध नहीं होगा तो वह ऐसी शर्तों और निबन्धनों, जैसे उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्याधीन ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, भूगर्भ जल का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हुए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा:

परन्तु यह कि प्राधिकरण, आवेदन पर विचार करते समय अन्य आवश्यकताओं की अधिमानतः पेयजल आवश्यकताओं को प्रथम प्राथमिकता देगा:

परन्तु यह और कि सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नामंजूर नहीं किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को मंजूर करने या नामंजूर करने के विनिश्चय की सूचना, प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आवेदक को देनी होगी।

(4) उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करने या नामंजूर करने में प्राधिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा—

(क) प्रयोजन जिसके या जिनके लिए पानी का उपयोग किया जाता है;

(ख) अन्य स्पर्धी उपयोक्ताओं की विद्यमानता;

(ग) भूगर्भ जल की उपलब्धता;

(घ) उपयोग के सन्दर्भ में भूगर्भ जल की गुणवत्ता;

(ङ) प्रयोजन जिसके लिए जल का उपयोग किया जाता है को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ जल निकालने की संरचनाओं का अन्तरालन;

(च) दीर्घकालिक भूगर्भ जल स्तर व्यवहार; और

(छ) इससे सुसंगत कोई अन्य कारक।

(5) अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का प्रत्येक विद्यमान उपयोक्ता, उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकरण के लम्बित विनिश्चय के दौरान भूगर्भ जल का उसी रीति में और उसी मात्रा में लगातार उपयोग करने का हकदार होगा, जिस प्रकार वह उसके लिए आवेदन की तारीख से पूर्व हकदार था।

(6) यदि रजिस्ट्रीकृत कुआं निष्क्रिय हो जाता है, तो यह तथ्य भूगर्भ जल के उपभोक्ता द्वारा तुरन्त प्राधिकरण के नोटिस में लाया जाएगा और ऐसा कुआं, यदि प्राधिकरण की राय में उपयुक्त पाया जाता है, भूगर्भ जल के पुनः प्रभरण (रिचाजिंग) हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

9. ड्रिलिंग अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण.—राज्य में क्रियाशील प्रत्येक रिंग का स्वामी अपनी मशीनरी को प्राधिकरण के पास ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, रजिस्टर करवाएगा और प्राधिकरण द्वारा जारी किए अनुदेशों का अनुसरण करेगा।

11. अनुज्ञापत्र/और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का रद्दकरण.—यदि प्राधिकरण का इस निमित्त इसे किए गए निर्देश द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) यथास्थिति, धारा 7 की उप-धारा (3) या धारा 8 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदान किया गया अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथ्यों पर आधारित नहीं है, या

(ख) अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या धारक युक्तियुक्त हेतुक के बिना उन शर्तों की अनुपालना करने में, जिनके अध्यक्षीन अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, असफल रहा है या उसने अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है, या

(ग) यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिससे भूगर्भ जल के उपयोग या उसका निकालना सीमित किया गया है, तो, किसी अन्य शास्त्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक इस अधिनियम के अधीन दायी हो, प्राधिकरण, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यथास्थिति, अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर सकेगा।

12. भूगर्भ जल के उपयोग की बाबत रायलेटी.—(1) अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का प्रत्येक उपयोक्ता, भूगर्भ जल को निकालने की रायलेटी ऐसी दरों पर और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाएं, राज्य सरकार को संदत्त करेगा:

परन्तु यह कि भूगर्भ जल का उपयोक्ता जो, एक हैक्टेयर से कम भूमि, जो चाहे अपने स्वामीत्वाधीन हो या पट्टे पर हो या दोनों, की सिंचाई करता है, तो उसे इस धारा के अधीन रायलेटी के संदाय से छूट होगी।

(2) राज्य सरकार रायलेटी का ऐसा अनुपात, जैसा विहित किया जाए, भूगर्भ जल स्रोतों के विकास के लिए समनुदेशित कर सकेगी।

13. प्राधिकरण की शक्तियां.—(1) प्राधिकरण या इस निमित्त इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) कुएं का निरीक्षण करना जिसकी खुदाई हो चुकी है या हो रही है और उससे उत्खनित मिट्टी और अन्य सामग्री का निरीक्षण करना;

(ख) ऐसे कुओं से निकाली गई ऐसी मिट्टी या अन्य सामग्री के या जल के नमूने लेना;

(ग) लिखित में आदेश द्वारा, कुआं खोद रहे व्यक्ति से विहित रीति में उससे उत्खनित मिट्टी या अन्य किसी सामग्री के नमूनों को ऐसे कार्य की पूर्णता या परित्यजन की तारीख से तीन मास की ऐसी अनधिक अवधि, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए विहित रीति में रखने या परिरक्षित करने की अपेक्षा करना और तदुपरि, ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश का पालन करेगा;

(घ) सुसंगत अभिलेख या दस्तावेजों का निरीक्षण करना और उनकी प्रतियां लेना और खुद रहे या खोदे जा चुके कुएं के ब्यास या गहराई सहित किसी सूचना को प्राप्त करना; स्तर जिस पर जल आक्रान्त हुआ है या हुआ था तथा तत्पश्चात् प्रत्यानीत/निश्चल हुआ है, कुएं की खुदाई से प्राप्त स्ट्रैटा के प्रकार और प्रत्यानीत जल की गुणवत्ता जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित है;

(ङ) अवैध खुदाई (सिंकिंग) के लिए प्रयुक्त किसी उपस्कर या साधन (डिवाइस) का अधिग्रहण करना और निष्पादित किए गए कार्यों को पूर्णतः या भागतः नष्ट करना;

(च) भूगर्भ जल के किसी उपयोक्ता, जो इस अधिनियम के उपबन्धों का या तद्धीन बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है, को आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर किसी जल आपूर्ति को बन्द करने या किसी जलीय (हाइड्रोलिक) कार्य को नष्ट करने की अपेक्षा करना:

परन्तु जहां भूगर्भ जल का उपयोक्ता ऐसे आदेशों का, उन्हें जारी करने की तारीख से साठ दिन के भीतर पालन नहीं करता है, तो प्राधिकरण या इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति आवश्यक कार्य को कार्यान्वित कर सकेगा और भूगर्भ जल के ऐसे उपयोक्ता से इसकी लागत वसूल कर सकेगा;

(छ) किसी स्थान, जिसमें यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है, में ऐसी सहायता के साथ यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे, प्रवेश करना और तलाशी लेना और व्यक्ति, जिसने अपराध किया है या कर रहा है, को लिखित में आदेश देना कि वह तीस दिन से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए भूगर्भ जल नहीं निकालेगा;

(ज) किसी समुचित निकाय को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भूगर्भ जल के विदोहन की सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्देश देना और प्राधिकरण के विचारार्थ समय-समय पर रिपोर्ट देना;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(2) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति में किसी भी परिसर के, जहां पर भूगर्भ जल की सिंकिंग, निकालना और उपयोग चल रहा हो, दरवाजे तोड़कर खोलने की शक्ति भी सम्मिलित है:

परन्तु दरवाजे को तोड़कर खोलने की शक्ति का प्रयोग परिसर के स्वामी या उसके अधिभोगी किसी अन्य व्यक्ति, यदि वह वहां उपस्थित है द्वारा, ऐसा करने के लिए कहने पर भी दरवाजे को खोलने से इन्कार करने पर ही किया जाएगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण के लिए उसी प्रकार से लागू होंगे जिस प्रकार उक्त संहिता की धारा 93 के अधीन जारी वारन्ट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू है।

(4) जहां प्राधिकरण या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन किसी यांत्रिक उपस्कर या साधन को अभिगृहित करता है तो वह यथाशक्य शीघ्र अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा और उसकी अभिरक्षा के लिए उसके आदेश लेगा।

14. मापन यन्त्रों का लगाया जाना.—भूगर्भ जल का प्रत्येक उपयोक्ता अधिसूचित क्षेत्र में, यथास्थिति, धारा 7 या 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर भूगर्भ जल निकालने की अवसंरचना पर जल मापन यन्त्र लगाएगा:

परन्तु यह कि जहां भूगर्भ जल का उपयोक्ता इस धारा के अधीन उपबन्धों का तीस दिन की अवधि के भीतर पालन नहीं करता है, तो प्राधिकरण या इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसा जल मापन यन्त्र लगाएगा और भूगर्भ जल के व्यतिक्रमी उपयोक्ता से उसकी लागत वसूल कर सकेगा।

20. अपराधों का संज्ञान और विचारण.—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई भी अभियोजन प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति की लिखित शिकायत के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा।

(2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

21. अपराध और शास्तियां.—(1) यदि भूगर्भ जल का कोई उपयोक्ता, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है या प्राधिकरण को या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को बाधित करता है, तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा दूसरे और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) यदि भूगर्भ जल का कोई उपयोक्ता, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में कुआं खोदता है, निर्मित करता है या उसका प्रयोग करता है तो वह प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से तथा दूसरे और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 9 OF 2022

**THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND
CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT)
AMENDMENT BILL, 2022**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL
OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) BILL, 2022**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 3.
4. Insertion of section 4A.
5. Amendment of section 5.
6. Insertion of section 5A.
7. Insertion of section 6A.
8. Amendment of section 7.
9. Amendment of section 8.
10. Amendment of section 9.
11. Amendment of section 11.
12. Insertion of section 11A.
13. Amendment of section 12.
14. Amendment of section 13.
15. Amendment of section 14.
16. Amendment of section 20.
17. Substitution of section 21.

- (b) after clause (j), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(j-a) “Public Water Source” means a source from which the State Government or such other authority as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh specify, provides water to the public and includes such well, borewell, tubewell or any other ground water; and 5

(j-b) “Public Water Supply System” means the structure relating to a public drinking water source, including conveying pipelines, storage reservoir, stand posts, cisterns, hand pump, power pump and all other materials connected thereto, through which water is supplied for drinking water purposes;” and 10

- (c) in clause (o), for the words “excluding domestic use”, the words and signs, “excluding individual domestic consumer, rural drinking water supply scheme, Armed Forces and Central Armed Police Forces establishments, agricultural activities and micro and small enterprises drawing ground water less than 10 cubic meter per day” shall be substituted. 15 20

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (2), for the words “Irrigation and Public Health” wherever occurs the words, “Jal Shakti Vibhag” shall be substituted.

Insertion of section 4.

4. After section 4 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:— 25

“4 A. Funds of the Authority.— (1) The Authority shall operate and maintain a separate fund called the Himachal Pradesh Ground Water Authority Fund to which it shall credit,— 30

- (a) such sums as may be placed at the disposal of the Authority from time to time by way of grant or loan or otherwise by the State Government and its agencies;

- (b) such sums as may be received by the Authority from time to time by way of grant or loan or otherwise from the Central Government;
- 5 (c) such loans raised with prior concurrence of the Government, by the Authority from any financial agencies;
- (d) the proceeds of any fees, charges, royalties and fines levied by the Authority; and
- (e) such other sums as may be received by the Authority from any other source.

10 (2) The fund shall be utilized by the Authority for the development of Ground Water and the purposes as may be prescribed.

(3) The Authority shall maintain a true and proper account and other relevant records there to and prepare annual statements of accounts including the balance sheet in such form as may be prescribed.”.

15 **5.** In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), after the words “the extraction”, the words “or use” shall be inserted. Amendment of section 5.

6. After section 5 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :— Insertion of section 5A

20 **“5 A. Protection and preservation of water quality.—** (1) No person including user of Ground Water shall do anything or release any effluent that contaminates the groundwater either temporarily or permanently.

25 (2) The Authority shall take such measures as may be prescribed or necessary for the protection and preservation of water quality of any ground water source within notified and non-notified areas in the State.”.

Insertion of
Section 6A.

7. After section 6 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

“6A. Registration of well by any person extracting ground water.—Every person extracting ground water and does not come in the ambit of definition of user of ground water in a notified area shall, within a period of sixty days from the date of establishment of the authority or the commencement of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management), Amendment Act, 2022, whichever is later make an application on such form containing such particulars, free of cost, in the manner as may be prescribed, to the Authority.”.

Amendment
of section 7.

8. In section 7 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

“(1) Any user of ground water desiring to sink a well or extracting ground water within notified area, for any purpose shall, on payment of such fee as may be prescribed, apply to the Authority for grant or renewal of a permit, and shall not proceed with any activity connected with such sinking or extraction of ground water unless a permit has been granted by the Authority in the manner as may be prescribed.”;

(b) for sub section (3), the following shall be substituted, namely:—

“(3) The Authority shall consider the application made under sub-section (1) and if satisfied, may grant a permit or renewal as the case may be, in such form and manner and subject to such conditions as may be prescribed or refuse to grant permit or renewal for reasons to be recorded in writing,

subject to such condition and restrictions as may be specified, within sixty days from the date of receipt of application failing which it shall be deemed to have been granted:

5 Provided that while considering the application, the Authority shall give first priority for drinking water needs in preference to other needs:

 Provided further that no permit shall be refused without offering an opportunity of being heard:

10 Provided further that in case of change in land use of the property or water use, the user of ground water shall apply for fresh permit.”;

15 (c) in sub-section (4), after the words “refusal of the permit”, the words and sign “or its renewal, as the case may be” shall be inserted; and

(d) in sub-section (5),—

(i) after the words “or refusing a permit” the words and sign “or its renewal, as the case may be” shall be inserted;

20 (ii) the clause (e) shall be omitted; and

(iii) in clause (f), for the words “tube well” and “water supply scheme”, the words “deep well” and “public water supply scheme” shall be substituted respectively.

25 **9.** In section 8 of the principal Act,—

Amendment
of section 8.

(a) in the heading, after the word “Registration”, the words “and renewal of permit” shall be inserted;

- (b) in sub-section (1),—
- (i) after the words “establishment of the Authority”, the words “or the commencement of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Amendment Act, 2022, whichever is later,” shall be inserted; and 5
- (ii) after the word “certificate of registration,” the words “or permit” shall be inserted;
- (c) in sub-section (2),—
- (i) after the words “specified therein”, the words and sign “within sixty days from the date of receipt of application, failing which it shall be deemed to have been granted” shall be inserted; 10
- (ii) after the words “a certificate of registration”, the words “or permit” shall be inserted; and 15
- (iii) first proviso shall be omitted;
- (d) in sub-section (3), after the words “certificate of registration”, the words and sign “or permit or its renewal, as the case may be,” shall be inserted; and
- (e) in sub-section (4),— 20
- (i) after the words sign and figure “under sub-section (2)”, the words and sign “or permit or its renewal, as the case may be,” shall be inserted; and
- (ii) clause (e) shall be omitted.

Amendment
of section 9.

- 10.** (a) In section 9 of the principal Act, the existing provision shall be numbered as (1); and 25

(b) after the existing provision so renumbered, the following shall be inserted, namely:—

5 “(2) In granting or refusing certificate of registration of the machinery, the Authority shall have regard to the conditions as may be prescribed.

10 (3) No unregistered drilling agency or rig owner shall be allowed to construct ground water abstraction structures and in case of default, he will be liable for penalty as specified by the State Ground Water Authority or Central Ground Water Authority.”.

11. In section 11 of the principal Act, at the end of sub-clause (c), for the sign “.”, the sign and word “; or” shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely :— Amendment of section 11.

15 “(d) in case of change in land use of the property or water use, it shall be mandatory for the owner to apply for fresh permit.”.

12. After section 11 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:— Insertion of section 11A.

20 **“11 A. Information to be furnished by the drilling agency.—**(1) A drilling agency or rig owner, before taking any step for constructing or drilling any well, shall first satisfy itself that the applicant desirous of sinking a well has obtained prior requisite permission from the Authority for drilling of such well and shall inform in writing, in a manner as may be prescribed, about the construction of such well and ensure receipt of such information to the Member Secretary of the Authority or any other person authorized in this behalf, as may be prescribed.

(2) The drilling agency or rig owner will submit all the details, technical and others, in the manner as may be prescribed.

30 (3) The drilling agency, shall inform the details of all drilled wells within notified or non-notified area within a period of thirty days from the date of drilling of such bore well or deep

well to the Authority for maintaining and updating the data base on ground water resources of the State.”.

Amendment
of section 12.

13. In section 12 of the principal Act, the proviso shall be omitted.

Amendment
of section 13.

14. In section 13 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (i), after the words “rules made thereunder”, the words “or to impose any conditions as may be specified by the Central Ground Water Authority” shall be inserted.

5

Amendment
of section
14.

15. In section 14 of the principle Act, the proviso shall be omitted and the remaining provision shall be numbered as (1) and thereafter, the following shall be inserted, namely:—

10

“(2) Every user of ground water in a notified area shall be liable for penalty for amounting to rupees two lakhs, in case fails to install or installs faulty digital water flow meter with telemetry system.”.

Amendment
of section
20.

16. In section 20 of the principal Act, in sub-section (2), after the words “to that of a”, the word “Judicial” shall be inserted.

15

Substitution
of section 21.

17. For section 21 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

“21. Offences and penalties.— Whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, shall, in respect of each such failure or contravention, be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with a fine which may extend to ten lakh rupees, or with both, and in case the failure or contravention continues, with additional fine which may extend to five thousand rupees for every day during which such failure or contravention continues after the conviction for the first such failure or contravention.”.

20

25

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2005 was enacted to regulate and control the development and management of ground water and matters connected therewith. The definition of use of ground water is being amended and the persons drawing ground water less than 10 cubic meter per day are being excluded from the definition. Now, they are not required to obtain permits to extract the ground water. Such persons may extract ground water only by registering with the Authority free of cost. The provisions are also being incorporated for the protection and preservation of water quality. The provisions for granting or renewing the permits to the users of ground water are being made more effective. To avoid illegal construction of ground water abstraction structures, the registration process for drilling agencies or rig owners is being made more stringent. The drilling agencies or rig owners will also have to inform the authority before constructing or drilling of any well. Thus amendments are being made in the Act *ibid.* to make it more users friendly and efficacious.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MAHENDER SINGH THAKUR)

Minister-in-Charge.

Authenticated

Jal Shakti/Hort./Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh

SHIMLA :

The, 2022

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 4, 6, 7, 8, 10 and 12 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegations of powers is essential and normal in character.

**THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL
OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) AMENDMENT BILL, 2022**

A

BILL

*to amend the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of
Development and Management) Act, 2005 (Act No. 31 of 2005).*

(MAHENDER SINGH THAKUR)

Minister-in-Charge.

Authenticated

(RAJEEV BHARDWAJ)
Principal Secretary (Law).


**Jal Shakti/Hort./Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh**

SHIMLA :

The, 2022

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) ACT, 2005 (ACT NO. 31 OF 2005) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Sections:

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2005;
- (b) “artificial recharge to ground water” means the process by which ground water reservoir is augmented beyond the natural condition of replenishment;
- (c) “Authority” means the Himachal Pradesh Ground Water Authority established under section 3 of the Act;
- (d) “drinking water” means water for consumption or use by human population for drinking and for other domestic purposes, which shall include consumption or use of water for cooking, bathing, washing, cleansing and other day to day activities and shall include water meant for consumption by the livestock;
- (e) “exploitation limit” means such limit where the estimated annual ground water extraction is more than eighty-five percent of the estimated average annual ground water recharge;
- (f) “Government” or “State Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (g) “ground water” means the water which exists below the ground surface in the zone of saturation and can be extracted through wells or any other means or emerges as springs and base flows in streams and rivers;
- (h) “notified area” means the area notified under section 5 (5) of this Act;
- (i) “Official Gazette” means the Rajpatra of Himachal Pradesh;
- (j) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

- (k) “rain water harvesting” is the process of collection and storage of rain water at surface or in sub surface aquifer;
- (l) “royalty” means the royalty payable to the State Government under section 12 of this Act;
- (m) “sink” with all its grammatical variations and cognate expression in relation to a well includes any digging, drilling or boring of new wells of deepening of the existing wells;
- (n) “State” means the State of Himachal Pradesh;
- (o) “user of ground water” means a person or an institution including a company or an industry or an establishment, whether Government or not, who or which uses ground water for any purpose excluding domestic use;
- (p) “well” means a structure sunk for the search or extraction of ground water by any person, except by the authorized officials of the State or Central Government, for carrying out scientific investigations, exploration, development, augmentation, conservation, protection or management of ground water and shall include open well, dug well, bore well, dug-cum-bore well, tubewell, filter point, collector well, infiltration gallery, recharge well, disposal well, or any of their combinations or variations, except any manually operated device for extraction of ground water.

3. Establishment of the Authority.—(1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish, with effect from such date as may be specified in the notification, an Authority to be known as “The Himachal Pradesh Ground Water Authority”.

(2) The Authority shall have as members,—

- (i) Engineer-in-Chief, Irrigation and Public Health, Himachal Pradesh *Chairman,*
- (ii) Principal Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh *Member,*
- (iii) Director, Industries, Himachal Pradesh *Member,*
- (iv) Director, Rural Development and Panchayati Raj Department, Himachal Pradesh *Member,*
- (v) Director, Agriculture Department, Himachal Pradesh *Member,*

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (vi) Head, Remote Sensing Cell, Himachal Pradesh | <i>Member,</i> |
| (vii) Member-Secretary, Pollution Control Board,
Himachal Pradesh | <i>Member,</i> |
| (viii) Nominee of Himachal Pradesh State Electricity Board | <i>Member,</i> |
| (ix) Regional Director, Central Ground Water Board | <i>Member,</i> |
| (x) Superintending Engineer (Planning and Investigation
Unit-II),Irrigation and Public Health Department. | <i>Member-
Secretary, and</i> |
- (xi) Such other members not exceeding five, who in the opinion of the State Government have special knowledge or practical experience in matters relating to management of ground water resources.

(3) The members shall advise the Chairman who shall be the Chief Executive of Authority.

(4) The headquarters of the Authority shall be at Shimla.

5. Power to notify areas to regulate and control the development and management of ground water.—(1) The Authority shall function under the overall control and supervision of the State Government.

(2) The Authority is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest to control and or regulate the extraction of ground water in any form in any area, it shall advise the State Government to declare any such area to be notified area for the purposes of this Act.

(3) The State Government after examining the advice of the Authority, received under sub-section(2), and after making such further enquiry, as it may deem fit, may by notification, declare such area or part thereof to be the notified area, with effect from such date, as may be specified therein:

Provided that the State Government may *suo motu* by notification declare its intention to notify any area to be the notified area under this section, if deemed necessary.

(4) Every such notification issued under sub-section (3) shall, in addition to its publication in the Official Gazette, be published in not less that two daily regional language newspapers having wide circulation in the State and shall also be served by affixing a copy of the notification at the offices of the Gram Panchyats located in the said area and at some conspicuous places of the locality.

(5) The persons likely to be affected by the notification issued under sub-section (3), may file objections or suggestions within thirty days from the date of publication of the same in the Official Gazette, against such declaration to the State Government which shall be decided by it within thirty days, after public hearing and thereafter, final notification shall be issued within thirty days.

(6) If in the opinion of the Authority, the availability of the ground water has improved in a notified area, it may advise the State Government to de-notify such area, and the State Government may in the like manner, de-notify such area.

(7) The Authority shall take steps to ensure that exploitation of ground water resources does not exceed the natural replenishment to the aquifers and wherever, there is mismatch, steps shall be taken to ensure augmentation of ground water resources in addition to regulatory measures.

7. Grant of permit to extract and use ground water.—(1) Any user of ground water desiring to sink a well within notified area, for any purpose shall, on payment of such fee as may be prescribed, apply to the Authority for grant of a permit, and shall not proceed with any activity connected with such sinking unless a permit has been granted by the Authority.

(2) Every application made under sub-section (1) shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed.

(3) The Authority shall consider the application made under sub-section (1) and if satisfied, may grant a permit, in such form as may be prescribed subject to such conditions and restrictions as may be specified, within sixty days from the date of receipt of the application:

Provided that while considering the application the Authority shall give first priority for drinking water needs in preference to other needs:

Provided further that no permit shall be refused without affording an opportunity of being heard.

(4) The decision regarding grant or refusal of the permit shall be intimated by the Authority to the applicant within a period of thirty days from the date of decision.

(5) In granting or refusing a permit under sub-section (3), the Authority shall have regard to—

(a) the purpose or purposes for which water is to be used;

- (b) the existence of other competitive users;
- (c) the availability of water;
- (d) quality of ground water to be drawn with reference to proposed usage;
- (e) spacing of ground water structures keeping in view the purpose for which water is to be used;
- (f) minimum distance of two hundred meters in case of shallow well and three hundred meters in case of tube well from the existing source of water supply scheme or irrigation scheme, as the case maybe;
- (g) long term ground water level behaviour ; and
- (h) any other factor relevant thereto.

8. Registration of existing users of ground water.—(1) Every existing user of ground water in a notified area shall, within a period of two months from the date of establishment of the Authority shall, make an application on such form containing such particulars and fees, as may be prescribed, to the Authority for the grant of certificate of registration recognizing its existing use:

Provided that the Authority may entertain any such application after the expiry of the said period of sixty days, if it is satisfied that the user was prevented by sufficient cause from filing application in time.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), if the Authority is satisfied that it shall not be against the public interest to do so, it shall grant, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, a certificate of registration in such form as may be prescribed authorizing continued use of the ground water :

Provided that while considering the application, the Authority shall give first priority for drinking water needs in preference to other needs:

Provided further that no user of ground water shall be refused a certificate of registration without being given an opportunity of being heard.

(3) The decision regarding grant or refusal of the certificate of registration shall be intimated by the Authority to the applicant within a period of thirty days from the date of decision.

(4) In granting or refusing a certificate of registration under sub- section (2), the Authority shall have regard to,—

- (a) the purpose or purposes for which water is to be used;

- (b) the existence of other competitive users;
- (c) the availability of water;
- (d) quality of ground water with reference to its usage;
- (e) spacing of ground water abstraction structures keeping in view the purpose for which water is to be used;
- (f) long term ground water level behaviour ;and
- (g) any other factor relevant thereto.

(5) Every existing user of ground water in the notified area during pendency of decision of the Authority under sub-section (2) shall be entitled to the continued use of the ground water in the same manner and to the same quantity as he was entitled prior to the date of application.

(6) If a registered well becomes defunct, this shall be immediately brought to the notice of the Authority by the user of ground water and such well may be used for ground water recharging if in the opinion of the Authority it is found fit.

9. Registration of drilling agencies.—Every rig owner operating in the State shall register his machinery with the Authority in such manner and on payment of such fee as may be prescribed and shall follow the instructions issued by the Authority.

11. Cancellation of permit/ certificate of registration.—If the authority is satisfied either on a reference made to it in this behalf or otherwise that,—

- (a) the permit or certificate of registration granted, under sub- section (3) of section 7 or sub-section (2) of section 8 as the case may be, is not based on facts, or
- (b) the holder of the permit or certificate of registration has without reasonable cause failed to comply with the conditions subject to which the permit or certificate of registration has been granted or has contravened any of the provisions of this Act or the rules made there under, or
- (c) a situation has arisen which warrants limiting of the use or extraction of ground water, then without prejudice to any other penalty to which the holder of the permit or certificate of registration may be liable under this Act, the Authority may after giving the holder of the permit or certificate of registration, as the case may be, an opportunity of being heard, cancel the permit or certificate of registration, as the case maybe.

12. Royalty in respect of use of ground water.—(1) Every user of ground water in a notified area shall pay to the State Government a royalty for extraction of ground water at such rates and in such manner as may be prescribed :

Provided that a user of ground water who irrigates less than one hectare of land, whether owned or leased or both, shall be exempted from payment of royalty under this section.

(2) The State Government may, assign such proportion of the royalty, as may be prescribed for development of ground water resources.

13. Powers of the Authority.—(1) The Authority or any person authorized under section 17 of this Act in this behalf shall have the following powers, namely:—

- (a) to inspect the well, which has been or is being sunk and the soils and other materials excavated there from;
- (b) to take specimens of such soils or other materials or of water extracted from such wells;
- (c) to require, by order, in writing the person sinking a well to keep and preserve in the prescribed manner specimens of soil or any material excavated therefrom for such period not exceeding three months from the date of completion or abandonment of such work, as may be specified by the Authority and there upon such person shall comply with such order;
- (d) to inspect and to take copies of the relevant record or documents and seek any information including diameter or depth of the well which is being or has been sunk; the level at which the water is or was struck and subsequently restored/ rested, the types of strata encountered in the sinking of the well and the quality of the water struck, required for carrying out the purposes of this Act;
- (e) to seize any equipment or device utilized for illegal sinking and destroy the work executed fully or partly;
- (f) to require, by order any user of ground water who does not comply with the provisions of this Act or the rules made there under to close down any water supply or destroy any hydraulic work found to be in contravention of the provisions of this Act or the rules made there under:

Provided that where the user of ground water does not comply with such order within a period of sixty days from the date of issue of the same, the Authority or any person authorized in this behalf may carry out the necessary work and recover the cost from such user of ground water ;

- (g) to enter and search with such assistance, if any, as it considers necessary, any place in which it has reason to believe that offence under this Act has been or is being committed, and order, in writing, the person who has been or is committing the offence, not to extract ground water for a specified period not exceeding thirty days;
- (h) to direct an appropriate body to assess exploitation limit of ground water in different areas and submit periodic report for consideration of the Authority;
- (i) to exercise such other powers as may be necessary for carrying out the purposes of this Act or the rules made there under.

(2) The power conferred by this section includes the power to break open the door of any premises where sinking, extraction and use of ground water may be going on:

Provided that the power to break open the door shall be exercised only after the owner or any other person in occupation of the premises, if he is present therein, refuses to open the door on being called to do so.

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, so far as may be apply to any search or seizure under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 93 of the said Code.

(4) Where the Authority or any person authorized by it seizes any mechanical equipment or device under clause (e) of sub-section (1) it shall, as soon as may be, inform a Magistrate having jurisdiction and take his orders as to the custody thereof.

14. Installation of measuring devices.—Every user of ground water in a notified area shall install water measuring device on ground water abstraction structure within a period of thirty days from the date of registration under section 7 or 8, as the case maybe:

Provided that where the user of ground water does not comply with the provisions of this section within a period of thirty days, the Authority or any person authorized in this behalf may install such water-measuring device and recover the cost from the defaulting user of ground water.

20. Cognizance and trial of offences.—(1) No prosecution for an offence under this Act shall be instituted except on a written complaint of the Authority or a person authorized in this behalf by the State Government.

(2) No court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try any offence under this Act.

21. Offences and penalties.—(1) If any user of ground water fails to supply information required under the provisions of this Act or the rules made thereunder or obstructs the Authority or any other person authorized by the State Government to exercise any of the powers under this Act, he shall be punished for the first offence with fine which may extend to one thousand rupees and for the second and subsequent offence with fine which may extend to two thousand rupees.

(2) If any user of ground water sink, constructs or uses well in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, he shall be punished for the first offence with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both and for the second and subsequent offence, with imprisonment for a term, which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.